निर्णय बईजलास श्री के.आर. चौहान (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़

प्र0सं0 27 / 2017 / प्रा.पत्र /   निर्णय दिनांक :– 24.01.2018

अनवान

1. श्रीमति डाली पत्नी मकना कलाल निवासी आंजना तहसील देवगढ़

—————प्रार्थीया

बनाम

1. श्री घीसू पिता गिरधारी प्रजापत निवासी आंजना चौड़ा तहसील देवगढ़
2. श्री मांगू पिता उदा प्रजापत निवासी आंजना चौड़ा तहसील देवगढ़
3. श्री प्रताप पिता वरदा प्रजापत निवासी आंजना चौड़ा तहसील देवगढ़
4. श्री देवा पिता वरदा प्रजापत निवासी आंजना चौड़ा तहसील देवगढ़
5. श्री डालू पिता उदा कलाल निवासी आंजना चौड़ा तहसील देवगढ़
6. श्री रामा पिता डालू कलाल निवासी आंजना चौड़ा तहसील देवगढ़
7. श्री रामा पिता खेमा रेगर निवासी आंजना चौड़ा तहसील देवगढ़
8. श्री शान्तिलाल पिता रूपा तेली निवासी आंजना चौड़ा तहसील देवगढ़
9. श्री शंकरलाल पिता प्रताप तेली निवासी आंजना चौड़ा तहसील देवगढ़
10. श्री रमेश पिता गणेश कलाल निवासी आंजना चौड़ा तहसील देवगढ़
11. श्री बाबू लाल पिता प्रताप प्रजापत निवासी आंजना चौड़ा तहसील देवगढ़

—————प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 ले0रे0ए0

उपस्थित :– श्री उग्रप्रतापसिंह वकील प्रार्थीया

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार पेश हुआ कि ग्राम आंजना पटवार हल्का आंजना तहसील देवगढ़ में प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जे की भूमि स्थित है जिसके खा.नं. 92 आ.नं. 148 रकबा 2.01, आ.नं. 151 रकबा 0. 16, आ.नं. 154 रकबा 1.03, आ.नं. 155 रकबा 0.19 आ.नं. 156 रकबा 1.03 कुल किता 5 रकबा 6.02 बीघा है। इस भूमि का प्रार्थीया निर्बाध रूप से काश्त उपयोग उपभोग कर रही है किन्तु उक्त वर्णित कुलिया आराजियात के चारो तरफ पत्थर की पक्की बाउण्ड्री अथवा स्थाई सीमा चिन्ह नही है जिससे विपक्षीगण जो प्रार्थीया की उक्त भूमि की सीमा से मिलते हुए पड़ौसी है वे हर समय फसल बुवाई एवं कटाई के सीमा संबंधी विवाद करते रहते है जिससे प्रार्थीया को अनावश्यक मुकदमेबाजी के लिये विवश होना ड़ता है मौके पर अशान्ति कायम रहता है जिससे प्रार्थीया शान्तिपूर्वक काश्त भूमि का उपयोग उपभोग नही कर पा रही है। यदि प्रार्थीया की उक्त वर्णित भूमि की बाद नपती पत्थरगढी हो जाती है तो फसल बुवाई एवं कटाई के समय जो विवाद होता है वह हमेशा के लिये समाप्त हो जाएगा तथा प्रार्थीया शान्तिपूर्वक काश्त एवं भूमि का उपयोग–उपभोग कर

सकेगी अतः प्रार्थीया का प्रा.पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा प्रार्थीया की उक्त वर्णित खातेदारी आराजियात की पत्थरगढी के आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के सममन जारी किये गये। प्रत्युत्तर में विपक्षीगण ने कोई जवाब पेश नही किया किन्तु सम्मन तामिल हो जाने पर भी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। विपक्षीगण के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रकरण में वकील प्रार्थी ने बहस की बहस में वकील प्रार्थी ने तर्क दिया कि ग्राम आंजना में प्रार्थीया की खातेदारी भूमि स्थित है जिसके खा.नं. 92 आ.नं. 148, 15, 154, 155, 156 रकबा 6.02 बीघा है प्रार्थीया ने इस आराजियात पूर्व में पत्थरगढी नही करवाई है भूमि की पत्थरगढी नही होने से विपक्षीगण जो प्रार्थीया की भूमि से मिलते हुए पड़ौसी है हमेशा फसल बुवाई एवं कटाई के सीमा संबंधी विवाद करते रहतें है मौके पर अशान्ति रहती है जिससे प्रार्थीया को अनावश्यक मुकदमेबाजी करनी पड़ती है यदि प्रार्थीया की उक्त वर्णित भूमि की बादनपती पत्थरगढी हो जाती है तो इस समस्या का हमेशा–हमेशा के लिये समाधान हो जाएगा तथा प्रार्थीया उसकी भूमि पर शान्तिपर्वूक काश्त वगैरह एवं भूमि का उपयोग–उपभोग कर सकेगी। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे तथा प्रार्थीया की उक्त भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

हमने प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र नकल जमाबंदी एवं पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील प्रार्थीया की बहस पर मनन किया। ग्राम आंजना पटवार हल्का आंजना तहसील देवगढ की जमाबंदी संख्या 2070 से 2074 में प्रार्थीया उक्त भूमि का खातेदार है। खातेदार उसके खाते की भूमि की पत्थरगढी करा सकते है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम आंजना पटवार हल्का आंजना तहसील देवगढ़ में स्थित प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खा.नं. 92 आ.नं. 148, 151, 154, 155, 156 किता 5 रकबा 6.02 बीघा भूमि की पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे कि प्रार्थीया से नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा करा पक्षकारान को सूचित करा मौके पर पत्थरगढी की जाकर रिपोर्ट पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला–राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द